भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 960

11 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएलआई योजना के अंतर्गत कंपनियों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन

960. श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों के लिए चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद मार्च, 2023 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 57 कंपनियों के साथ 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों को चयनसूची में शामिल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस तरह के सहयोग के लिए 57 कंपनियों को शामिल करने का कोई विशेष उद्देश्य है, अगर हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग): एक चयन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, जिसका विवरण अक्टूबर, 2021 में योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित किया गया था, 27 कंपनियों ने देश में 'स्पेशियलिटी स्टील' में निवेश करने तथा इसके उत्पादन के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सरकार के साथ 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना की शुरूआत पर्याप्त निवेश को आकर्षित करके देश के भीतर स्पेशियलिटी स्टील ग्रेडों के विनिर्माण को बढावा देने के उद्देश्य से की गई थी ताकि भारतीय इस्पात उद्योग प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्व बन सके और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उच्चतर स्थान प्राप्त कर सके।

****